रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2018/माघ 24, 1939
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2018/MAGHA 24, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसचना

मुंबई, 25 जनवरी, 2018

सं. टीएएमपी/64/2017-वीओसीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतदद्वारा, वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास से 42 टन क्षमता की दो नग हार्बर चल क्रेनो और दो नग रबड टायर युक्त विद्युत परिचालित चल हापरो की आपूर्ति, स्थापना, आरम्भ करने, परिचालन और अनुरक्षण द्वारा, पोत परिवहन मंत्रालय (एम ओ एस) द्वारा जारी संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के अनुसरण में, 10 वर्ष के लिये लाइसेंस आधार पर तटीय बर्थ के मशीनीकरण के संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण के लिये प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/64/2017-वीओसीपीटी

वी. ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास **आवेदक**

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी, 2018 के 19वें दिन को पारित)

मामला वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) से प्राप्त 28 जुलाई, 2017 के 42 टन क्षमता की दो नग हार्बर चल क्रेनो और दो नग रबड टायर युक्त विद्युत परिचालित चल हापरो की आपूर्ति, स्थापना, आरम्भ करने, परिचालन और अनुरक्षण द्वारा, पोत

परिवहन मंत्रालय (एम ओ एस) द्वारा जारी संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के अनुसरण में, 10 वर्ष के लिये लाइसेंस आधार पर तटीय बर्थ के मशीनीकरण के संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण के लिये प्राप्त प्रस्ताव से सम्बंधित है।

2. जैसा पत्तन ने बताया है, वीओसीपीटी के जोन 'ए' में वर्तमान 14 बर्थो में से, इस समय तटीय पोतो के लिये कोई समर्पित बर्थ उपलब्ध नही है। पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने 22.12.2014 के पत्र के द्वारा पत्तन को नई केंद्रीय सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट रुप से समर्पित तटीय बर्थ बनाने का निर्देश दिया और तटीय बर्थ निर्माणाधीन है।

तदनुसार पत्तन ने डिजाईन और ढांचागत ड्राईंगे और लागत आकलन तैयार करने के लिये भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटीएम) को कहा। आईआईटीएम ने तटीय बर्थ की भार वहन क्षमता पर सुविचार के पश्चात तटीय बर्थ में 42 टन हार्बर चल क्रेन तैनात करने का सुझाव दिया।

3.1. वीओसीपीटी दवारा प्रस्तावित दरें इस प्रकार हैं:

(i) **तटीय बर्थ में 42 टन एचएमसी के प्रयोग पर कार्गो प्रहस्तन प्रभार**

क्र. सं.	कार्गो	दर प्रति एम टी (ग्रैब के साथ) (भारतीय रु. में)	
		विदेशी	तटीय
1	शुष्क बल्क कार्गो	46.32	27.79
2	स्टील/बैग बंद कार्गो	101.33	60.80
3	अन्य	162.13	97.28

टिप्पणी : जैसा एचएमसी प्रशुल्क में प्रत्येक 1000 एम टी /दिन आधार उत्पादन में वृद्धि / कमी 9वी बर्थ और 1 से 4 बर्थ में यांत्रिक उपस्करों के ऊन्नयन के लिये दरों की तुलनात्मक दर में वृद्धि / कमी में 5% की वृद्धि अपनाई जा सकती है।

(ii). तटीय बर्थ में चल टायर युक्त विद्युत परिचालित हापर द्वारा कार्गो की निकासी करने के लिये कार्गो प्रहस्तन प्रभार:

क्र. सं.	**वस्तु**	**दर प्रति एम टी (रु. में)**	
		विदेशी	**तटीय**
1	शुष्क बल्क कार्गो	16.41	9.85

प्राधिकरण द्वारा 16.12.2016 के आदेश द्वारा हापर के लिये निर्धारित प्रशुल्क पर सुविचार करते हुए ऊपर प्रस्तावित हापर के लिये प्रशुल्क का प्रस्ताव प्राधिकरण की 9.73 की आधार दर पर 1.20% का सूचकांकन लागू करके किया गया है, जैसा प्राधिकरण ने 16.12.2016 के आदेश के खंड ॥(xiii) के सम्बंध में 31.3.2017 के पत्र में घोषित किया गया है।

3.2. **निष्पादन मानक**

(i) लाइसेंस धारक प्रत्येक हार्बर चल क्रेन और प्रत्येक हापर पर प्रति माह 90% प्रत्येक की न्यूनतम उपलब्धता की गारंटी बिना शर्त देगा। प्रत्येक और हरेक उपस्कर (हार्बर चल क्रेन / हापर) के लिये अलग अलग उपलब्धता का परिकलन किया जाना चाहिये।

(ii) लाइसेंस धारक, नीचे दिये गये ब्योरे अनुसार, एचएमसी के लिये प्रति दिन न्यूनतम कार्गो का या वास्तविक कार्य के घंटो के अनुपातिक टनभार/तैनात एच एम सी /हापर की संख्या के अनुपात में प्रहस्तन करेगा।

1.	शुष्क बल्क कार्गो के लिये	3528 मीट्रिक टन प्रति दिन (औसत)/ प्रति दिन प्रति क्रेन/ प्रति हापर।
2.	ब्रेक बल्क कार्गो के लिये स्टील/बैग बंद कार्गो	1764 मीट्रिक टन प्रति दिन (औसत)/ प्रति दिन प्रति क्रेन।.

दक्षता कार्य के वास्तविक घंटों के सम्बंध में यथानुपात आधार पर परिकलित की जायेगी।

3.3. प्रस्ताव को वीओसीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार वीओसीपीटी के 28 जुलाई, 2017 के प्रस्ताव की प्रति को सम्बंधित प्रयोक्तायो/प्रयोक्ता संगठनो/सम्भावित बोली लगाने वालो (वीओसीपीटी के सुझावानुसार) को उनकी टिप्पणिया प्राप्त करने के लिये भेजी गयी थी। दा इण्टरनैशनल कार्गो टर्मिनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (आईसीटीआईपीएल) ने अपने 14 अगस्त 2017 के पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणिया भेजी। आईसीटीआईपीएल से प्राप्त टिप्पणियो की प्रति हमारे 24 अगस्त, 2017 के पत्र के द्वारा वीओसीपीटी को भेजी गयी। वीओसीपीटी ने अपने 7 सितम्बर, 2017 के ई-मेल द्वारा उसका उत्तर दिया।

5. प्रस्ताव की आरम्भिक संवीक्षा के आधार पर यह पाया गया कि वीओसीपीटी के प्रस्ताव में कुछेक सूचना सम्बंधी अभाव/कमिया हैं। इसलिये वीओसीपीटी को हमारे 16 अगस्त, 2017 के पत्र के द्वारा 28 अगस्त 2017 तक वांछित सूचना / स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। वीओसीपीटी ने अपने 7 सितम्बर, 2017 के पत्र के द्वारा अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण भेजा।

6. इस मामले में संयुक्त सुनवायी वीओसीपीटी के परिसर में 10 अगस्त, 2017 को हुई। वीओसीपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाईट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवायी में वीओसीपीटी और सम्बंधित प्रयोक्तायो/प्रयोक्ता संगठनो/सम्भावित बोली लगाने वालों ने अपने अपने निवेदन रखे।

7. जब मामला अपनी अंतिमता के अग्रिम चरण में था, वीओसीपीटी ने अपने 27 सितम्बर, 2017 के ई-मेल द्वारा यह बताया कि उक्त परियोजना को अभी ताक पर रखना होगा कियोंकि पत्तन में अवसंरचना संबंधी बडे परिवर्तन (उपस्कर तैनाती सहित) किये जाने की संकल्पना की जा रही है। इन परिस्थितियों में, सीपोर्ट लाजिस्टिक्स प्रा. लि. (एस एल पी एल) से प्राप्त टिप्पणियों को, वीओसीपीटी को नहीं भेजा गया क्योंकि की गयी कार्रवाई निरर्थक निर्रथक हो जाती।

8. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध हैं। संबंधित पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए तर्कों का सार-संक्षेप संबंधित पक्षकारों को अलग से भेजा जाएगा। यह ब्यौरा हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

9. तत्पश्चात, वीओसीपीटी ने अपने 15 दिसम्बर, 2017 के पत्र के द्वारा अनुरोध किया कि उक्त परियोजना के लिये प्रशुल्क निर्धारण के पत्तन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को बंद कर दिया जाये।

10. तदनुसार, इस प्राधिकरण ने 42 टन क्षमता की दो नग हार्बर चल क्रेनो और दो नग रबड टायर युक्त विद्युत परिचालित चल हापरो की आपूर्ति, परिचालन और अनुरक्षण द्वारा, 10 वर्ष के लिये लाइसेंस आधार पर तटीय बर्थ के मशीनीकरण के संदर्भ प्रशुल्क निर्धारण के प्रस्ताव को बंद करने का निर्णय लिया।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./431/17]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2018

No. TAMP/64/2017-VOCPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the V.O. Chidambaranar Port Trust for fixation of Reference Tariff for the Mechanization of Coastal berth by Supply, Installation, Commissioning, Operation and Maintenance of two number of Harbour Mobile Crane of 42 Tons Capacity and Two numbers of Rubber tyred electrically operated Mobile Hoppers on license basis for a period of ten years following the Reference Tariff Guidelines of 2013 issued by the Ministry of Shipping (MOS) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/64/2017-VOCPT

V.O. Chidambaranar Port Trust Applicant

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 19th day of January 2018)

This case relates to a proposal dated 28 July 2017 received from V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for fixation of reference tariff for the Mechanization of Coastal berth by Supply, Installation, Commissioning, Operation and Maintenance of two numbers of Harbour Mobile Crane of 42 Ton Capacity and Two numbers of Rubber tyred electrically operated Mobile Hoppers on license basis for a period of ten years following the Reference Tariff Guidelines of 2013 issued by the Ministry of Shipping (MOS).

2. As stated by the port, in VOCPT, out of 14 existing berths, at Zone-A, at present, there is no dedicated berth available for Coastal vessels. The Ministry of Shipping vide letter dated 22.12.2014 has directed the Port to have an exclusive dedicated coastal berth under the new central sector scheme and the Coastal berth is under construction.

Accordingly, the Port commissioned the Indian Institute of Technology Madras (IITM) on 19.08.2015 for preparation of design and structural drawings and cost estimate. The IITM suggested to deploy 42 Ton Harbour Mobile Crane in the coastal berth considering the load bearing capacity of the coastal berth.

3.1. The rates proposed by the VOCPT in its proposal are as follows:

(i) Cargo Handling Charges using 42T HMC at Coastal Berth:

Sl. No.	Cargo	Rater per MT (With Grab) (In Indian Rupees)	
		Foreign	Coastal
1	Dry Bulk Cargo	46.32	27.79
2	Steel / Bagged Cargo	101.33	60.80
3	Others	162.13	97.28

Note: As in HMC tariff for upgradation of mechanical equipments in 9th berth & I to IV berths, for every increase/decrease in base output by 1000 MT /day corresponding increase / decrease in rate at 5% may be adopted.

(ii) Cargo Handling Charges for evacuation of cargo through Mobile Rubber Tyred electrically operated hopper at Coastal berth.

Sl. No.	Commodity	Rate per in MT in Rupees.	
		Foreign	Coastal
1	Dry bulk Cargo	16.41	9.85

Tariff for hopper proposed above is considering the tariff for Hopper fixed by Authority vide order dated 16.12.2016 applying indexation at 1.20% over the base rate of 9.73 as declared by the Authority vide letter dated 31.3.2017 with respect to clause II(xiii) of the order dated 16.12.2016.

3.2. **Performance Standards:**

(i) Licensee shall unconditionally guarantee the minimum guarantee availability of 90% each per harbour mobile crane and each per hopper per month. The availability shall be calculated for the each and every equipment (Harbour mobile crane/ hopper) separately.

(ii) The Licensee shall handle minimum cargo as detailed below per day per HMC or tonnage of proportionate hours of actual working / proportionate number of HMC/hopper deployed.

1.	For dry bulk cargo	3528 Metric Tons per day (average)/ per day per crane / per hopper
2.	For Break Bulk Cargo Steel and bagged cargo	1764 Metric Tons per day (average)/ per day per crane.

Efficiency is calculated on Prorata basis with respect to actual hours of working.

3.3. The proposal has the approval of the Board of Trustees of VOCPT.

4. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the VOCPT proposal dated 28 July 2017 was circulated to the users/ user organisations / prospective bidders (as suggested by the VOCPT) seeking their comments. The International Cargo Terminals and Infrastructure Pvt. Ltd. (ICTIPL) vide its letter dated 14 August 2017 has furnished its comments on the subject proposal. A copy of the comments received from ICTIPL was forwarded to the VOCPT vide our letter dated 24 August 2017. The VOCPT vide its email dated 7 September 2017 has furnished its reply.

5. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, it was observed that there are certain information gaps / deficiency in the proposal of VOCPT. The VOCPT, was, therefore, vide our letter dated 16 August 2017 requested to furnish requisite information / clarification by 28 August 2017. The VOCPT has furnished additional information / clarification vide its letter dated 7 September 2017.

6. A joint hearing in this case was held on 10 August 2017 at the VOCPT premises. The VOCPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the VOCPT and the concerned users/ organisation bodies / prospective bidders have made their submissions.

7. When the case was in advanced stage of finalisation, the VOCPT vide its email dated 27 September 2017 has stated that the said project is at present proposed to be shelved since major infrastructure changes (including equipment deployment) are being envisaged in Port. In this circumstance, the comments received from the Seaport Logistics Pvt. Ltd. (SLPL) was not forwarded to VOCPT since the exercise would become infructuous.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

9. Subsequently, the VOCPT vide its letter dated 15 December 2017 requested that the proposal submitted by port for fixation of tariff for the said project may kindly be dropped.

10. Accordingly, this Authority decides to close the tariff case for fixation of reference tariff for the Mechanization of Coastal berth by Supply, Operation, Maintenance of 42 Tons Capacity HMC and Two numbers of Rubber tyred electrically operated Mobile Hoppers on license basis for a period of ten years as dropped by the VOCPT.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./431/17]

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.20 19:45:53 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.